


| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए |
|------------|---|--|
| 18.02.2026 | <p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस का निवेदन किया गया। बहस एकतरफा सुनी गई।</p> <p>प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस करते हुए प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया जाकर वादगत खेत खसरा नम्बर 355 तादादी 0.02 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 834/119 तादादी 2.29 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 839/153 तादादी 3.20 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 912/842 तादादी 2.7750 हैक्टेयर वाकेरोही जाखासर तहसील श्रीडुंगरगढ़ में तादावा फैसला मौका एवं राजस्व रिकॉर्ड यथास्थिति कायम रखे जाने का निवेदन किया गया।</p> <p>प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर मनन किया गया तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों से प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति के तीनों मूलभूत सिद्धांत प्रार्थी के पक्ष में स्थापित होते हैं। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।</p> <p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>खेत खसरा नम्बर 355 तादादी 0.02 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 834/119 तादादी 2.29 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 839/153 तादादी 3.20 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 912/842 तादादी 2.7750 हैक्टेयर वाकेरोही जाखासर तहसील श्रीडुंगरगढ़ में उभयपक्षकारान तादावा फैसला मौका एवं राजस्व रिकॉर्ड यथास्थिति कायम रखे। आदेश आज दिनांक 18.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: right;">  (शुभम शर्मा) उपखण्ड अधिकारी श्रीडुंगरगढ़ (साकानेर) </p> | |

